डीम्ड विश्वविद्यालय अपने नाम से 'विश्वविद्यालय' शब्द हटाएं : यूजीसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में मौजूद 123 डीम्ड विश्वविद्यालयों को अपने नाम से विश्वविद्यालय शब्द हटाने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर के उस आदेश के बाद आए हैं, जिसमें कोर्ट ने यूजीसी से डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय शब्द के इस्तेमाल को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा था।

यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी डीम्ड विश्वविद्यालय अपने नाम में विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग तुरंत बंद करें। ऐसा नहीं करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विश्वविद्यालय अपने नाम में 'डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी' का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा भारत सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, जिन डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम में विश्वविद्यालय शब्द है, वे बिना विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग किए नए नाम का प्रस्ताव यूजीसी या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजें, ताकि उनके नामों में जरूरी बदलाव किया जा सके। यूजीसी ने इस संबंध में डीम्ड विश्वविद्यालयों से 15 दिन के अंदर स्वीकृति मांगी है।

खस्ताहाल बसों पर एनजीटी ने डीटीसी को फटकारा

शोर मचातीं और परेशान करती हैं आपकी बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

- बसों का उचित प्रबंधन नहीं करने और ज्यादातर समय उन्हें खाली चलाने पर की आलोचना
- सड़कों पर यातायात कम होने के दौरान छोटी बसें चलाने का भी दिया सुझाव

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अपनी बसों का उचित प्रबंधन नहीं करने और ज्यादातर समय उन्हें बिना यात्रियों के चलाने के मुद्दे पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की आलोचना की है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वंतत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपकी बसें सड़कों पर बहुत शोर मचाती हैं और रुकावट पैदा करती हैं। आपकी बसों के ज्यादातर हिस्से हवा में लटके रहते हैं या टूट गए हैं। आप उनके प्रबंधन के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाते हैं। आपकी बसें या तो खाली चलती हैं या निर्धारित सीमा से ज्यादा भरी होती हैं।

अधिकरण ने डीटीसी के प्रमुख सह प्रबंध निदेशक को बसों के प्रबंधन और वाहनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए एक न्यायसंगत अध्ययन के संबंध में एनजीटी के आदेश को ध्यान में न रखने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि क्या आपने हमारे फैसले को पढ़ा है? आपने अपने विभाग में 33 साल से ज्यादा काम किया है और हम यह जानकर हैरान हैं कि आपको हमारा आदेश पढ़ने का वक्त नहीं मिला। यह बहुत चौंकाने वाला है। हरित पैनल ने इससे पहले यातायात कम रहने के दौरान छोटी बसें चलाने का पक्ष लिया और कहा कि जब ट्रैफिक कम हो तो आपको अपनी बसें बदल लेनी चाहिए और उन बसों को चलाना चाहिए जिनका आकार छोटा हो। हम आपसे बस सेवा बंद करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आपको बसों के आकार में तब्दीली करनी चाहिए। एनजीटी ने कई निर्देश पारित किए और कहा कि दिल्ली सरकार के सभी निगम और प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि 14 नवंबर तक दिल्ली में संरचना निर्माण से जुड़ी कोई भी गतिविधि न हो।

अधिकरण ने कहा कि दिल्ली सरकार और सरकारी अधिकरण एनजीटी के निर्देशों और फैसलों को लागू करने में नाकाम रहे हैं, जबकि पर्यावरण को बचाने के लिए समग्र तरीके से उचित कदम उठाए जाने चाहिए। एनजीटी ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव को मौसम विज्ञान विभाग से सलाह-मशविरा करके एक बैठक बुलानी चाहिए, जब भी वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति गंभीर हो, इससे पहले कि वह खतरनाक बन जाए।

छात्रों ने जेएनयू प्रशासन पर लगाया कुछ वेबसाइट बंद करने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

- कुछ समाचार चैनलों की वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल नहीं खुल रहे : विद्यार्थी
- जेएनयू ने दी सफाई, यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी में नहीं हुआ है कोई बदलाव

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर परिसर के वाई-फाई नेटवर्क पर कुछ वेबसाइटों को बंद करने का आरोप लगाया है। इस बारे में जेएनयू के बहुत सारे छात्रों ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर आपबीती बयान की है। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि हमारी तरफ से वाई-फाई में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जेएनयू के विद्यार्थी करण कुमार फेसबुक पर लिखते हैं कि वे विश्वविद्यालय के वाई-फाई पर कुछ वेबसाइटों को खोल नहीं पा रहे हैं। वाई-फाई से यू-ट्यूब पर भी कुछ चैनल नहीं खुल रहे हैं। उन्होंने संदेह जताया कि शायद प्रशासन ने कुछ वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल प्रतिबंधित कर दिए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता डे ने बताया कि बहुत सारी सामाचार वेबसाइट के साथ ही आइसा का यू-ट्यूब चैनल भी जेएनयू के वाई-फाई पर नहीं खुल रहा है। एक अन्य छात्र ने बताया कि वाई-फाई के माध्यम से कन्हैया कुमार, शेहला राशिद, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल व ममता बनर्जी को सर्च करने पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से सर्च करने पर उनके सभी भाषण यू-ट्यूब पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर विद्यार्थी अपने नेटवर्क से वाई-फाई पर प्रतिबंधित वेबसाइटों, यू-ट्यूब चैनलों और शब्दों को सर्च करते हैं तो वहां कोई परेशानी नहीं है।

जेएनयू छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है। छात्र संघ की अध्यक्ष गीता कुमारी ने कहा कि जेएनयू कुलपति विश्वविद्यालय के स्वतंत्र विचारों पर वाई-फाई के माध्यम से रोक लगाना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे प्रशासन के इस व्यवहार के खिलाफ खड़े हों ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन वेबसाइटों और यू-ट्यूब चैनलों पर लगाए प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाए। इस मामले को लेकर जेएनयू के रेक्टर-तीन प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि जेएनयू की यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

केंद्र की राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ होगा आंदोलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,11 नवंबर।

- किसानों, मजदूरों और कामगारों ने चेतावनी दी, मोदी जी देश को दूसरी गुलामी बर्दाश्त नहीं
- मजदूर संगठनों का एलान, निजीकरण के खिलाफ सेक्टर स्तर पर की जाएगी हड़ताल

मनाही के बावजूद संसद मार्ग पहुंच कर देश भर से आए किसानों, मजदूरों और कामगारों ने चेतावनी दी 'मोदी जी देश को दूसरी गुलामी बर्दाश्त नहीं'। देश में सबका विकास, अच्छे दिन या मेक इन इंडिया सरीखे जुमले अब और नहीं चलेंगे। तमाम मजदूर संगठनों ने मिलकर शनिवार को एलान किया कि मोदी सरकार की जनविरोधी, कामगार विरोधी व राष्ट्रविरोधी नीतियों के खिलाफ जनवरी से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इंटक, एटक, सीटू, ऐटक, एचएमएस और एक्टू सहित तामाम मजदूर संगठनों ने तीन दिन के महापड़ाव के बाद साझे मंच से एलान किया कि निजीकरण के खिलाफ देश भर में सेक्टर स्तर पर हड़ताल की जाएगी। इसके लिए श्रमिकों का आह्वान किया गया। बजट सत्र में संसद मार्च किया जाएगा।

एटक नेता अमरजीत कौर ने कहा कि देश ने देखा है कि कैसे एक कंपनी ईस्ट इंडिया आई और देश में कंपनी राज कायम हो गया। इसके बाद धीरे से विक्टोरिया राज और इस तरह से देश 200 साल की गुलामी झेलने को अभिशप्त हो गया था जिसके खिलाफ 100 बरस लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देना चाहते हैं कि देश को एक और गुलामी मंजूर नहीं है क्योंकि जिस तरह से वे देश विरोधी कदम उठा रहे हैं व विदेशी कंपनियों को देश के प्राकृतिक संसाधन सौंपते जा रहे हैं, वह हमें एक और गुलामी की ओर धकेल रहा है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर सारे फैसले किए जा रहे हैं और सवाल पूछने वाले को देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अमरजीत कौर ने यह भी कहा कि राष्ट्रविरोधी काम खुद मोदी सरकार कर रही है जबकि इसके खिलाफ बोलने वाले को

संसद मार्ग पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते किसान और मजदूर। फोटो : आरुष चोपड़ा

राष्ट्रविरोधी कह दिया जाता है। यह सब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की आवाम जाग उठी है। इस महारैली में आई महिलाओं ने दिखा दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं।

सीटू से तपन सेन ने कहा कि देश में अब झूठे जुमले नहीं चलेंगे। निजीकरण, ठेकेदारी और मेकइन इंडिया के नाम पर सब कुछ निजी कंपनियों को हवाले किया जा रहा है। गुजरात मॉडल की बात होती है लेकिन गुजरात से आई महिलाओं ने बताया कि वहीं कमजोर और मजदूर तबका त्राहि-त्राहि कर रहा है। देश के किसान तबाह हैं। हिंद मजदूर संगठन से हरभजन सिंह ने रेलवे की दुर्दशा के बारे में बताया कि किस तरह से देश के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को तोड़ने और इसे निजी कंपनियों को बेचने की कोशिश की जा रही है।

सम-विषम से कोई फायदा नहीं: गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय गोयल का कहना है कि सम-विषम से दिल्ली के प्रदूषण का समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि सम-विषम में इतनी देर हो चुकी है कि अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले सम-विषम में मैंने चालान कटा कर विरोध जताया था और उसके बाद जितनी भी सरकारी, गैर-सरकारी रिपोर्ट आई, उसमें कहीं भी प्रदूषण में कमी नहीं दर्शाई गई।

गोयल ने कहा कि प्रदूषण के मूल कारण- निर्माण की धूल, सड़कों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण व कूड़ा-कचरा आदि को लेकर दिल्ली सरकार की व्यवस्था नाकाफी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारणों का अध्ययन कर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यह बताए कि उसने अन्य राज्यों की तुलना में ऐसी कितनी पहल की।

प्रदूषण से घुटा दम, अब बारिश से ही आस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

दिल्ली के वायुमंडल में हवा में गति नहीं है इसलिए बरिश के बिना धुंध कम होने के आसार नहीं

राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या का मानवीय समाधान कर पाने में नाकामी के बाद अब बारिश से ही राहत मिलने की उम्मीद बची है। मौसम विभाग ने शनिवार शाम या देर रात दिल्ली व आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया था।

विभाग के अनुसार बारिश हुई तो ही लोगों को धुंध से राहत मिलने की संभावना है। शनिवार को दिन में हल्की राहत के बाद शाम होते ही तापमान गिरने के साथ धुंध फिर गहराने लगी, लेकिन सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होती कहीं नजर नहीं आई। एक विशेषज्ञ चंडी प्रसाद भट्ट ने बताया कि दिल्ली व आसपास के इलाकों में ही नहीं, धुंध की परतें हिमालय तक पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रदूषण में पहले के मुकाबले पिछले दो दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

उधर, सम-विषम पर दिन भर चली माथापच्ची के बाद भी लोगों को सरकार की ओर से राहत के कोई उपाय नहीं मिले। कुल मिला कर अब सब कुछ मौसम की मेहरबानी पर ही है। सुबह धुंध रही लेकिन दिन में धूप निकलने के साथ ही धुंध में गिरावट देखी गई। लेकिन दोपहर बाद से ठंड व धुंध बढ़ने लगी। रात में भी धुंध छाई रही। अगर रविवार तक भी बारिश हुई तो लोगों को धुंध से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चूंकि दिल्ली के वायुमंडल में हवा में गति नहीं है इसलिए बरिश के बिना धुंध कम होने के आसार नही हैं।

पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें लगी टीम मंत्री की निगरानी में इस पर काम कर रही है। सीपीसीबी की 40 टीमें हवा की गुणवत्ता पर निगरानी कर रही है। राज्यों से बातचीत की जा रही है और पराली का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। इस बीच, भलस्वा में कचरे का पहाड़ फिर सुलग उठा है जिससे जहरीला धुआं उठने लगा है। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि धुएं में सल्फर डाइ आक्साइड या कार्बन मोनो आक्साइड जैसे तत्व नहीं बढ़े हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
मंडल कार्यालय-1, जीवन प्रकाश,
25 केजी मार्ग, नई दिल्ली

सूचना

हमारे सभी सम्मानित पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि हमारा सैटेलाइट ऑफिस (शाखा 124 के अंतर्गत) जो पहले डी-154, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में कार्यरत था, अब ए 119-120 (यूजीएफ), शारदा पुरी, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015 में स्थानांतरित हो गया है और यह 13.11.2017 से कार्य करना प्रारंभ करेगा।

वरि. मंडल प्रबंधक

NICMAR ADMISSIONS 2018

NATIONAL INSTITUTE OF CONSTRUCTION MANAGEMENT AND RESEARCH (NICMAR)
Invites applications for

FULL TIME ON-CAMPUS PROGRAMMES : All programmes will commence from July 16, 2018 while MFOCB programme will commence from June 18, 2018

1. Two Year Post Graduate Programme in Advanced Construction Management (PGP ACM) : Offered from Pune, Hyderabad (Shamirpet), Goa and Delhi NCR (Bahadurgarh) Campuses
2. Two Year Post Graduate Programme in Project Engineering and Management (PGP PEM) : Offered from Pune and Hyderabad (Shamirpet) Campuses
3. Two Year Post Graduate Programme in Real Estate and Urban Infrastructure Management (PGP REUIM) : Offered from Pune Campus
4. Two Year Post Graduate Programme in Infrastructure Finance, Development and Management (PGP IFDM) : Offered from Pune Campus
5. One Year Post Graduate Programme in Management of Family Owned Construction Business (PGP MFOCB) : Offered from Pune Campus
6. One Year Post Graduate Programme in Contemporary Smart City Development and Management (PGP CSCDM) : Offered from Pune and Delhi NCR (Bahadurgarh) Campuses
7. One Year Post Graduate Programme in Quantity Surveying and Contract Management (PGP QSCM) : Offered from Hyderabad (Shamirpet) Campus
8. One Year Post Graduate Programme in Health, Safety and Environment Management (PGP HSEM) : Offered from Hyderabad (Shamirpet) Campus

For eligibility and selection criteria details visit www.nicmar.ac.in
• Email : admission@nicmar.ac.in • Tel.: 020 - 66859166/270/271 • Fax : 020 - 27390139

Final year eligible graduating students can also apply

HOW TO APPLY : Candidates can apply, pay fees and upload documents online through our website: www.nicmar.ac.in or direct link: http://admission.nicmar.ac.in or download the application form from website and send duly filled application form along with the application fee and required documents. Programme brochures and application form for all the programmes can be obtained from NICMAR Pune on payment of Rs. 1610/- (Application Fee) + Rs.290/- (GST @ 18%) = **Rs. 1900/-** for one programme or Rs. 2118/- (Application Fee) + Rs. 382/- (GST @ 18%) = **Rs. 2500/-** for more than one programme by Demand Draft in favour of **"NICMAR, Pune"**

Last Date for Submission of Application : December 27, 2017

एसओएल में अधिकतर विद्यार्थियों के अंक कम, गड़बड़ी की आशंका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

विद्यार्थियों ने डीयू प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय (एसओएल) ने बीए प्रोग्राम तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया दिया है। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने परिणाम में देरी को लेकर प्रशासन की आलोचना की है। अधिकतर छात्रों के अंक कम आए हैं। ऐसे में उन्होंने परिणाम जारी करने में गड़बड़ी की आशंका जताई है।

छात्र हरीश गौतम ने बताया कि तृतीय वर्ष के छात्रों का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया था, जिसमें ज्यादातर छात्र एक या ज्यादा विषयों में फेल हुए हैं। साथ ही, जो छात्र पास भी हुए हैं उनमे से ज्यादातर के अंक 35 से 45 के बीच हैं। इस परिणाम की वजह से कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होंगे और ज्यादातर का एक साल बर्बाद होगा। छात्रों के इतने बड़े पैमाने पर फेल होने में गड़बड़ी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस साल भी परीक्षा परिणाम में देरी के कारण तृतीय वर्ष के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए एमए व एमकॉम में दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हर जगह प्रवेश बंद हो गए हैं।

हरीश ने बताया कि एसओएल प्रशासन ने नए सत्र की कक्षाएं भी अभी तक शुरू नहीं की हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही नियमित कॉलेजों में सेमेस्टर खत्म होने को है, मगर इसके विपरीत एसओएल में अभी तक कक्षाएं शुरू भी नहीं हुई हैं। कक्षाएं देर से शुरू होने के कारण छात्रों को निर्धारित 20 कक्षाओं में भी कटौती की जाती है और साथ ही पाठ्यक्रम भी आधा-अधूरा खत्म कराया जाता है। इसके चलते ज्यादातर छात्रों का एक महत्त्वपूर्ण साल प्रशासन की लापरवाही के कारण बर्बाद हो जाता है।

शोध के लिए आइआइटी दिल्ली और आइओसी में करार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 नवंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) लिमिटेड, फरीदाबाद के बीच शोध, शिक्षा प्रोत्साहन और नवोन्मेष (इनोवेशन) को लेकर एक समझौता किया गया है। आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव के मुताबिक, इस करार के तहत दोनों संस्थानों के बीच शोध और तकनीक की बेहतरी के लिए दीर्घ अवधि का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस करार के तहत शोध, शिक्षा प्रोत्साहन और नवोन्मेष के क्षेत्र में काम किया जाएगा। प्रोफेसर राव के मुताबिक, इस करार के तहत फेलोशिप की राशि 25 फीसद अधिक दी जाएगी। गौरतलब है कि आइआइटी दिल्ली की ओर से शोध को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ करार किए जा रहे हैं।

UFLEX 'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922, वेबसाईट : www.uflexltd.com, इमेल : flexsec@vsnl.net

30.09.2017 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के दौरान अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र0 सं0	विवरण	30.09.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.06.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2016 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2017 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2016 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2017 को वर्ष समाप्त (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	159969	171435	163005	331404	322812	652529
2.	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	10729	10719	10953	21448	21485	39044
3.	कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	9368	9301	9019	18669	17559	34668
4.	सहयोगी एवं गैर-नियंत्रित ब्याज को शेयरों में लाभ/(हानि) पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	9429	9305	9035	18734	17651	34846
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि] (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	11553	11985	6641	23538	14945	20678
6.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221	7221	7221
7.	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त एवं गैर-नियंत्रित ब्याज पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	355661	355661	337562	355661	337562	355661
8.	आय प्रति शेयर (ईपीएस)						
	मूलभूत	13.06	12.89	12.51	25.94	24.44	48.26
	द्रव्य	13.06	12.89	12.51	25.94	24.44	48.26

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 30 सितम्बर 2017 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के समेकित वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 30 सितम्बर 2017 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तिय विवरण का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.nseindia.com, www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com पर उपलब्ध है।

कृते यूफ्लेक्स लिमिटेड
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनांक: 11.11.2017